रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270244
CG-DL-E-18022026-270244

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 834] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947
No. 834] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

का.आ. 874(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर और बीड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५६१ , अहमदनगर से साबलखेड (कि.मी २.९१५ से कि.मी ३७.७२८) और आष्टी से चिंचपुर (कि.मी ५५.१०० से कि.मी ७०.०००) (डिजाईन लंबाई = ४९.७१३ कि.मी) पर निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उप-धारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा ।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तथा **उपविभागीय अधिकारी , अहमदनगर** को लिखित रूप मे किया जायगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधि

व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपो की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर और बीड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५६१ , अहमदनगर से साबलखेड (कि.मी २.९१५ से कि.मी ३७.७२८) और आष्टी से चिंचपुर (कि.मी ५५.१०० से कि.मी ७०.०००) (डिजाईन लंबाई = ४९.७१३ कि.मी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: अहमदनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नगर					
गांव का नाम: दरेवाडी					
1	164	निजी	कृषिक	0.0059 (हेक्टेयर)	0.0059
2	165	निजी	कृषिक	0.044 (हेक्टेयर)	0.044
3	41	सामान्य	अकृषिक	0.0478 (हेक्टेयर)	0.0478
4	42	सामान्य	अकृषिक	0.0735 (हेक्टेयर)	0.0735
5	43	सामान्य	अकृषिक	0.0432 (हेक्टेयर)	0.0432
6	44	सामान्य	अकृषिक	0.2479 (हेक्टेयर)	0.2479
7	46	सामान्य	अकृषिक	0.2402 (हेक्टेयर)	0.2402
गांव का नाम: निंबोडी					
8	6	निजी	कृषिक	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
गांव का नाम: मदडगाव					
9	190	निजी	कृषिक	0.161 (हेक्टेयर)	0.161
10	191	निजी	कृषिक	0.044 (हेक्टेयर)	0.044
गांव का नाम: चिचोडीपाटील					
11	1026	निजी	कृषिक	0.2745 (हेक्टेयर)	0.2745
12	14	निजी	कृषिक	0.1362 (हेक्टेयर)	0.1362

13	545	निजी	अकृषिक	0.1162 (हेक्टेयर)	0.1162
14	572	निजी	अकृषिक	0.0064 (हेक्टेयर)	0.0064
15	573	निजी	अकृषिक	0.1425 (हेक्टेयर)	0.1425
16	575	निजी	अकृषिक	0.0785 (हेक्टेयर)	0.0785
17	576	निजी	अकृषिक	0.0018 (हेक्टेयर)	0.0018
18	577	निजी	अकृषिक	0.0303 (हेक्टेयर)	0.0303
गांव का नाम: आठवड					
19	1	निजी	कृषिक	0.091 (हेक्टेयर)	0.091
20	12	निजी	कृषिक	0.0118 (हेक्टेयर)	0.0118
21	129	निजी	कृषिक	0.0089 (हेक्टेयर)	0.0089
22	131	निजी	कृषिक	0.1226 (हेक्टेयर)	0.1226
23	133	निजी	कृषिक	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
24	134	निजी	कृषिक	0.076 (हेक्टेयर)	0.076
25	135	निजी	कृषिक	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
26	136	निजी	कृषिक	0.0305 (हेक्टेयर)	0.0305
27	138	निजी	कृषिक	0.0881 (हेक्टेयर)	0.0881
28	139	निजी	कृषिक	0.106 (हेक्टेयर)	0.106
29	152	निजी	कृषिक	0.329 (हेक्टेयर)	0.329
30	153	निजी	कृषिक	0.32 (हेक्टेयर)	0.32
31	154	निजी	कृषिक	0.0865 (हेक्टेयर)	0.0865
32	155	निजी	कृषिक	0.0125 (हेक्टेयर)	0.0125
33	156	निजी	कृषिक	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
34	171	निजी	कृषिक	0.0627 (हेक्टेयर)	0.0627
35	172	निजी	अकृषिक	0.0884 (हेक्टेयर)	0.0884
36	174	निजी	कृषिक	0.019 (हेक्टेयर)	0.019
37	8	निजी	कृषिक	0.1212 (हेक्टेयर)	0.1212
38	Gavthan	सामान्य	अकृषिक	0.035 (हेक्टेयर)	0.035
				Total	**3.4011**

[फा. सं RC.G1.146/2022/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2026

S.O. 874(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction of maintenance, management and operation on National Highway No 561 for the work of Ahmednagar to Sabalkhed in the stretch of land from(Km 2+915 to Km 37+728)& Ashti to Chinchpur (Km 55+100 to Km 70+000)(Design Length= 49.713 km) in the district of Ahmednagar and Beed in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub Divisional Officer, Ahmednagar in the State of Maharashtra, in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling on National Highway No. 561 for the work of Ahmednagar to Sabalkhed in the stretch of land from(Km 2+915 to Km 37+728)& Ashti to Chinchpur (Km 55+100 to Km 70+000)(Design Length= 49.713 km) in the district of Ahmednagar and Beed in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			**District: AHMEDNAGAR**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Nagar					
Village: Darewadi					
1	164	Private	Agriculture	0.0059 (Hectare)	0.0059
2	165	Private	Agriculture	0.044 (Hectare)	0.044
3	41	Common	Non Agriculture	0.0478 (Hectare)	0.0478
4	42	Common	Non Agriculture	0.0735 (Hectare)	0.0735

5	43	Common	Non Agriculture	0.0432 (Hectare)	0.0432
6	44	Common	Non Agriculture	0.2479 (Hectare)	0.2479
7	46	Common	Non Agriculture	0.2402 (Hectare)	0.2402
Village: Nimbodi					
8	6	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
Village: Madadgaon					
9	190	Private	Agriculture	0.161 (Hectare)	0.161
10	191	Private	Agriculture	0.044 (Hectare)	0.044
Village: Chichodipatil					
11	1026	Private	Agriculture	0.2745 (Hectare)	0.2745
12	14	Private	Agriculture	0.1362 (Hectare)	0.1362
13	545	Private	Non Agriculture	0.1162 (Hectare)	0.1162
14	572	Private	Non Agriculture	0.0064 (Hectare)	0.0064
15	573	Private	Non Agriculture	0.1425 (Hectare)	0.1425
16	575	Private	Non Agriculture	0.0785 (Hectare)	0.0785
17	576	Private	Non Agriculture	0.0018 (Hectare)	0.0018
18	577	Private	Non Agriculture	0.0303 (Hectare)	0.0303
Village: Athwad					
19	1	Private	Agriculture	0.091 (Hectare)	0.091
20	12	Private	Agriculture	0.0118 (Hectare)	0.0118
21	129	Private	Agriculture	0.0089 (Hectare)	0.0089
22	131	Private	Agriculture	0.1226 (Hectare)	0.1226
23	133	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
24	134	Private	Agriculture	0.076 (Hectare)	0.076
25	135	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
26	136	Private	Agriculture	0.0305 (Hectare)	0.0305
27	138	Private	Agriculture	0.0881 (Hectare)	0.0881
28	139	Private	Agriculture	0.106 (Hectare)	0.106
29	152	Private	Agriculture	0.329 (Hectare)	0.329

30	153	Private	Agriculture	0.32 (Hectare)	0.32
31	154	Private	Agriculture	0.0865 (Hectare)	0.0865
32	155	Private	Agriculture	0.0125 (Hectare)	0.0125
33	156	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
34	171	Private	Agriculture	0.0627 (Hectare)	0.0627
35	172	Private	Non Agriculture	0.0884 (Hectare)	0.0884
36	174	Private	Agriculture	0.019 (Hectare)	0.019
37	8	Private	Agriculture	0.1212 (Hectare)	0.1212
38	Gavthan	Common	Non Agriculture	0.035 (Hectare)	0.035
				Total	**3.4011**

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/68/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.18 15:13:29 +05'30'